(2) ग्राम परिषद को स्पष्टीकरण देने का उचित अवसर दिए बिना उप धारा (1) के अन्तर्गत कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा ।

(3)यदि उप धारा (1) के अन्तर्गत ग्राम परिषद को विघटित किया गया तो निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला जाएगा अर्थात्:

(क) ग्राम परिषद के सभी सदस्यों की आदेश में निर्धारित तारीख से सदस्यता समाप्त हो जाएगी,

(ख) ग्राम परिषद के विघटन के दौरान ग्राम परिषद के सभी अधिकार और कर्त्तव्यों का प्रयोग प्रशासक द्वारा इसके लिए नियुक्त व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा किया जाएगा ।

ग्राम परिषदों के बीच विवाद

50. यदि दो या दो से अधिक ग्राम परिषदों के बीच कोई विवाद उत्पन्न होने पर इसे उपायुक्त के पास भेज दिया जाएगा, इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अंतिम होगा ।

प्रशासक कार्यवाही की मांग सकता है ।

51. प्रशासक किसी अधिकारी अथवा ग्राम परिषद के कार्यवाही के रिकार्ड में पारित किसी आदेश की वैधता अथवा औचित्य के लिए जाँच हेतु मांग सकते हैं और जैसा वह सही समझे आदेश में संशोधन अथवा परिवर्तन कर सकते हैं।

अध्याय VII
द्वीप परिषद

द्वीप परिषद का गठन

52. प्रत्येक द्वीप में परिषद के गठन के लिए प्रशासक द्वारा सरकारी राजपत्र में अधिसूचना जारी किया जाएगा, उसे द्वीप परिषद कहा जाएगा ।

द्वीप परिषद का संघटन

53. (1) प्रत्येक द्वीप परिषद में उतने सदस्य शामिल होंगे जितना प्रशासक अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेगा ।

(2) संबंधित द्वीप परिषद के ग्राम साधारण निकाय के पंजीकृत मतदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन के माध्यम से प्रत्येक द्वीप परिषद के चीफ कैप्टन का चुनाव किया जाएगा ।

(3) द्वीप में प्रत्येक ग्राम परिषद के सभी फर्स्ट कैप्टन के बीच से द्वीप परिषद के उप कैप्टन का चुनाव किया जाएगा ।

(4) द्वीप परिषद में चीफ कैप्टन, वाइस चीफ कैप्टन और गाँव का फर्स्ट कैप्टन सदस्य के रूप में शामिल होंगे ।

(5) धारा 11 की उपधारा (5) और (6) के प्रावधान जहाँ तक हो सके द्वीप परिषद के लिए भी लागू होगा, जैसा कि यह ग्राम परिषद के लिए लागू होता है । परिवर्तन के अधीन रहते हुए फर्स्ट कैप्टन के स्थान पर चीफ कैप्टन प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

द्वीप परिषद का निगमीकरण

54. प्रत्येक द्वीप परिषद जिसके पास निगमित निकाय के रूप में चिरस्थाई उत्तराधिकार और एक सामान्य मुहर हो और बशर्ते कि इस विनियम के द्वारा अथवा तत्समय लागू अन्य विधि के अन्तर्गत ऐसे प्रतिबन्ध और शर्तें लगाई हों जो उक्त नाम से वाद चलाने या चलाए गए वाद अथवा चल और अचल सम्पति को खरीदने, रखने, देखरेख करने और सम्पति हस्तान्तरण की शक्ति रखता हो ।

मतदान तथा चुने जाने के लिए योग्य व्यक्ति

55. द्वीप परिषद गठित करने वाले साधारण ग्राम निकाय के प्रत्येक सदस्य द्वीप परिषद के लिए चुने जाने अथवा मतदान हेतु इस उपबन्धों की धारा 4 अथवा अस्थायी रूप से प्रभावित अन्य विधि के अन्तर्गत योग्य या अयोग्य होगा ।

अयोग्यता

56. कोई भी व्यक्ति द्वीप परिषद का सदस्य नहीं होगा अथवा सदस्य के रूप में बना नहीं रहेगा यदि वहः–